18/3/21 को पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषक उपस्थित। वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4 उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 की ओर से राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य रिश्तेदारान की समझाइस के बाद पूर्णरूपेण राजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामा ग्राम व पटवार हल्का गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित कृषि आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2 रकबा 1.43 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.45 हैक्टर की वसीयत पूर्व खातेदार स्व. रामकरण द्वारा वादी के पक्ष में की गई है इसलिये वादी मनोज पुत्र बाबूलाल को उपरोक्त आराजीयात का खातेदार घोषित करने में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को कोई आपत्ति नहीं है। मुताबिक राजीनामा विवादित आराजी का स्व. रामकरण पुत्र नन्दा के स्थान पर मनोज पुत्र बाबूलाल को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज अमल करने का आदेश दिया जावे। अतः उपरोक्तानुसार पेश राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री किया जावे। न्यायालय में उपस्थित समस्त पक्षकारान का वादपत्र में अंकितानुसार मिलान किया गया। सभी बालिग पक्षकारान की पहचान उनके मूल आधार कार्ड से की गई। प्रत्येक पक्षकार के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। न्यायालय में उपस्थित समस्त पक्षकारान को राजीनामा अक्षरशः पढकर सुनाया गया तथा राजीनामा अनुसार आदेश किये जाने बाबत उनसे पुछा गया जिस पर उनके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं किये जाने तथा राजीनामा पर सहमति दिये जाने के फलस्वरूप पक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा तस्दीक एवं स्वीकार किया जाकर ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2 रकबा 1.43 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.45 हैक्टर का वादी मनोज पुत्र बाबूलाल, जाति मैरोठा, निवासी ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
में जा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – बालकृष्ण तिवारी, R.A.S.

बउनवान :–

मनोज आत्मज बाबूलाल, जाति मैरोठा, निवासी ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा	
	(वादी)
बनाम	
1.	बाबूलाल पुत्र स्व. रामकरण, जाति मैरोठा
2.	नोदान बाई पत्नी बाबूलाल, जाति मैरोठा
3.	पायल पुत्री बाबूलाल, उम्र 11 साल नाबालिग जरिये वली माता नोदान बाई
	निवासीगण ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4.	पिंकी पत्नी रामहेत एवं पुत्री बाबूलाल, जाति मैरोठा, निवासी ग्राम नोताडा भोपत, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
5.	तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
	(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 90-91-92-188 RTA
मुकदमा नम्बर : 03 / 21
निर्णय दिनांक : 18-03-2021

GCMS id : 2021 / 5

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री अशोक कुमार गुप्ता तथा प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री मुकेश मनोहर एवं वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 उपस्थिति में पेश राजीनामा तस्दीक करने के बाद आज तारीख 18–02–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 2 रकबा 1.43 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.45 हैक्टर का वादी मनोज आत्मज बाबूलाल, जाति मैरोठा, निवासी ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को खातेदार घोषित किये जाकर स्व. रामकरण के स्थान पर वादी मनोज का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा वादी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त की विवादित आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें और ना ही किसी भी तरीके से उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने का प्रयास करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज तारीख 18 फरवरी, 2021 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Manoj.Babulal Ors

Dekree